रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1987/ज्येष्ठ 4, 1909
No. 280] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1987/JAISTHA 4, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 227/87-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 527(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा

करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 333/86-सीमाशुल्क, तारीख 3 जून, 1986 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

पैरा 2 में, "31 मई, 1987" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मई, 1988" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 355/229/85-सी. शु.-1(टी.आर. यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th May, 1987

NOTIFICATION

No. 227/87-CUSTOMS

G.S.R. 527 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 333/86-Customs dated the 3rd June, 1986, namely :—

In the said notification in paragraph 2, for the figures, letters and words "31st day of May, 1987," the figures, letters and words "31st day of May, 1988" shall be substituted.

[F. No. 355/229/85-Cus. I (TRU)]

अधिसूचना

सं० 152/87-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 528(अ) .—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रिय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 40.05 के अंतर्गत आने वाले संयोजित रबर को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, परन्तु यह तब जब कि ऐसे संयोजित रबर का उपयोग, उसके उत्पादन

के कारखाने में, उक्त अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाले माल के विनिर्माण के लिए किया जाता है ।

[फा. सं. 99/4/87-केउशु. 3/टी०आर०यू०]

टी० जयरामन अवर सचिव

NOTIFICATION

No. 152/87 CENTRAL EXCISES

G.S.R. 528 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts compounded rubber, falling under heading No. 40.05 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule provided that such compounded rubber is used in the factory of its production for the manufacture of goods falling under Chapter 10 of the said Schedule.

[F. No. 99/4/87-CX.3/TRU.]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987